राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः- एफ. 2(क)/के-396/अलेसे-I/ 1131 दिनांकः- 22/12/21

आदेश

श्री किशन लाल पारीक 1988 बैच की आरक्षित सूची में कनिष्ठ लेखाकार पद पर चयनित हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अनुसार इनकी मैरिट 732/88 है। श्री पारीक ने दिनांक 29.08.1991 को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण किया। श्री पारीक ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि कनिष्ठ कार्मिक श्री बाबूलाल बुनकर, श्री हनुमान सहाय चन्देल, श्री गणपत लाल खोलिया एवं श्री सुवालाल मीणा (बैच 1989) उनसे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, अतः कनिष्ठ कार्मिकों के समान वेतन नियतन किया जाए।

इस बिन्दु का परीक्षण किया गया। यह सत्य है कि श्री बाबूलाल बुनकर, श्री हनुमान सहाय चन्देल, श्री गणपत लाल खोलिया एवं श्री सुवालाल मीणा 1989 बैच के होने के कारण 1988 बैच से कनिष्ठ है, परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त चारों कार्मिकों ने दिनांक 11.02.1991 को कार्यग्रहण किया, जबकि श्री पारीक ने दिनांक 29.08.1991 को कार्यग्रहण किया।

यह सत्य है कि अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदत्त मेरिट अनुसार निर्धारित होती है तथा कनिष्ठ कार्मिक के अधिक वेतन प्राप्त करने पर वरिष्ठ कार्मिक का वेतन भी उसके समान किए जाने का राजस्थान सेवा नियमों में प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियम लागू नहीं होते, क्योंकि श्री किशन लाल पारीक ने कनिष्ठ कार्मिक श्री बाबूलाल बुनकर, श्री हनुमान सहाय चन्देल, श्री गणपत लाल खोलिया एवं श्री सुवालाल मीणा (बैच 1989) के बाद में राज्य सेवा में कार्यग्रहण किया है तथा वार्षिक वेतन वृद्धि एवं स्थिरीकरण कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित होते हैं न कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेरिट अनुसार। श्री किशन लाल पारीक ने दिनांक 29.08.1991 को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण किया है, जबकि उक्त चारों कार्मिकों ने दिनांक 11.02.1991 को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण किया है। अतः विलंब से कार्यग्रहण करने पर श्री किशन लाल पारीक को उक्त चारों कार्मिकों के समान वेतनमान एवं वेतन स्थरीकरण की मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री लावण्य कुमार, श्री सुधीर कुमार, श्री राजेन्द्र पारीक एवं श्री प्रेमचन्द शर्मा को वेतन उन्नयन प्रकरण में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णयानुसार 1989 बैच के कनिष्ठ लेखाकारों के समान दिनांक 11.02.1991 से कार्यग्रहण मानते हुए वेतन नियतन किया गया। जिसमें दिनांक 01.10.2009 से पूर्व का कोई एरियर नहीं दिया गया एवं दिनांक 01.10.2009 के बाद वेतन नियतन का लाभ दिया गया है। इस प्रकार 1988 बैच के उक्त चारों कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन नियतन माननीय राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण के निर्णयादेश द्वारा किया गया है। माननीय अधिकरण का उक्त निर्णय इन-रेम नहीं है तथा ना ही निर्णय में संबंधित नियम को अप्रभावी घोषित किया गया है।

उक्त प्रकरण में श्री किशन लाल पारीक ने कनिष्ठ कार्मिकों से बाद में कार्यग्रहण किया है। अतः अभ्यावेदन के परीक्षण उपरांत अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रकरण में श्री किशन लाल पारीक को कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

D:\2016\goyal-j\Order.docx

क्रमांकः-- एफ. 2(क) / के--396 / अलेसे– I / 1131 दिनांकः– 22/12/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्री किशन लाल पारीक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. रा.उ. मा. खण्ड चूरू।
2. निजी सचिव निदेशक महोदय।
3. कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट हेतु।
4. निजी / गार्ड फाईल।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)

D:\2016\goyal-j\Order.docx

4